



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25062022-236799
CG-DL-W-25062022-236799

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25—जुलाई 1, 2022 (आषाढ़ 4, 1944)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25—JULY 1, 2022 (ASADHA 4, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	695	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	449	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1581	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6303
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	103
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1559
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	695	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	449	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1581	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6303
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	103
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1559
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 सितम्बर 2021

संकल्प

सं. ई-11016/03/2018-हिंदी (का.)—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार ने एतद्वारा एतद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति का पुनर्गठन और कार्य इस प्रकार होंगे:—

I. गठन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	
1. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थानीय पता: 189, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011. स्थायी पता: 320 टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर - 302021 (राजस्थान)	सदस्य
2. श्री प्रताप राव जाधव, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थानीय पता: 17, कैनिंग लेन, नई दिल्ली-110001. स्थायी पता: “मातोश्री” शिवाजीनगर, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र - 443001.	सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित	
3. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (लोक सभा) स्थानीय पता: 601, नर्मदा अपार्टमेंट्स, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001. स्थायी पता: 1201, पूर्णा अपार्टमेंट्स, बोरली सागर सीएचएस, एस. पी. रोड, बोरली, मुंबई - 400030 (महाराष्ट्र).	सदस्य
4. श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) (लोक सभा) स्थानीय पता: 118, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001. स्थायी पता: ग्राम - मादरडीह, पोस्ट - रायपुर, जिला - जौनपुर - 222202 (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
5. डॉ. अनिल अग्रवाल (राज्य सभा) स्थानीय पता: सी-1/6, पंडारा पार्क, नई दिल्ली - 110003 स्थायी पता: के. एफ. - 91, कविनगर, गाजियाबाद - 201002 (उत्तर प्रदेश).	सदस्य

6. श्रीमती छाया वर्मा (राज्य सभा) सदस्य
स्थानीय पता: सी - 501, स्वर्ण जयंती सदन,
डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001
स्थायी पता: म. नं. 2/528, चौबे कॉलोनी,
रायपुर - 492001 (छत्तीसगढ़)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित

7. श्री प्रभात कुमार सदस्य
स्थायी पता: ए-120, स्वास्थ्य विहार,
दिल्ली - 110092.
8. श्री सुरेन्द्र शर्मा सदस्य
स्थायी पता: कॉटेज नं. 4, बी. एम. रोहतगी अपार्टमेंट,
1, राम किशोर रोड, सिविल लाइंस,
दिल्ली - 110054.
9. श्री वीरेन्द्र मिश्रा सदस्य
स्थायी पता: फ्लैट नं. 243, सैक्टर-11,
अपोजिट बालाजी मंदिर,
वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201012.
10. श्री अभिजित काश्यप सदस्य
स्थायी पता: 402- 403, हेम, छठधाम अपार्टमेंट,
पाटलिपुत्रा पथ, टेलीफोन एक्सचेंज एवं सेंट्रल बैंक के निकट,
राजेन्द्र नगर, पटना - 800016.

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

11. श्री क्रांति (येवतीकर) कनाटे सदस्य
स्थायी पता: 203, टॉवर-3, साईनाथ स्कवायर,
मदर्स स्कूल के पीछे, जलाराम चौकड़ी,
वडोदरा, गुजरात - 390021.
12. डॉ. जनार्दन यादव सदस्य
स्थायी पता: ग्राम व पोस्ट - नरपतगंज, अररिया, बिहार - 853445
13. डॉ. महेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
स्थायी पता: 147, सुशील नगर, निकट डीएम बंगला,
जालौन रोड, उरई,
जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश - 285001.

हिंदी संगठनों के प्रतिनिधि

14. डॉ. बंडोपंत पाटील, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, सदस्य
स्थायी पता: 'यशवंत' 77 अ, निर्मिति विहार, बिजापुर रोड,
सोलापुर (महाराष्ट्र) - 413004.
15. डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा, केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली सदस्य
स्थायी पता: एम - 401, अजनारा लैण्ड मार्क, सैक्टर-4, बैशाली, गाजियाबाद - 201010.

सरकारी सदस्य

16. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 सदस्य
17. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001. सदस्य
18. अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली सदस्य
19. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली सदस्य

20. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली-110011	सदस्य
21. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड-249203.	सदस्य
22. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029	सदस्य
23. निदेशक, स्नातकोत्तर तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	सदस्य
24. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, बाबा गंगनाथ मार्ग, न्यू महरौली रोड, मुनीरिका, नई दिल्ली-110067	सदस्य
25. निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), धनवन्तरी नगर, गोरीमेडू, पुदुच्चेरी - 605006	सदस्य
26. निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, पोस्ट बैग नं. 2900, बेंगलुरु - 560029	सदस्य
27. निदेशक, चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, 37, एस. पी. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700026	सदस्य
28. निदेशक, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, निदेशक ब्लॉक, मावडीयांगडीयांग, मेघालय, शिलांग - 793016.	सदस्य
29. निदेशक, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई - 400088	सदस्य
30. अपर सचिव एवं राजभाषा प्रभारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य-सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक संगठनों और सरकारी उपक्रमों आदि में राजभाषा संबंधी सांविधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना है।

III. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा:

1. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे।
2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
3. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

IV. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं।

V. यात्रा व अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा व दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

VI. आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 6th September 2021

RESOLUTION

No. E-11016/03/2018-Hindi (Impl.)—On the conclusion of the tenure of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Health and Family Welfare, the Government of India hereby reconstitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Health and Family Welfare. The composition and functions etc., of the Samiti shall be as under:—

I. COMPOSITION

Minister of Health & Family Welfare	- Chairman
Minister of State, Health & Family Welfare	- Vice-Chairman

NON-OFFICIAL MEMBERS

NOMINATED BY THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

1. Dr. Manoj Rajoria, MP (Lok Sabha) - Member
Local Address: 189, South Avenue, New Delhi - 110011.
Permanent Address: 320, Tagore Nagar, Ajmer Road,
Jaipur - 302021 (Rajasthan).
2. Shri Pratap Rao Jadhav, MP (Lok Sabha) - Member
Local Address: 17, Canning Lane, New Delhi -110001.
Permanent Address: "Matoshree", Shivaji Nagar,
Mehkar, Distt. - Buldhana - 443001. (Maharashtra)

NOMINATED BY THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

3. Dr. Pritam Gopinath Munde (Lok Sabha) - Member
Local Address: 601, Narmada Apartments,
Dr. B. D. Marg, New Delhi - 110001
Permanent Address: 1201, Purna Apartments, Worli Sagar CHS,
S. P. Road, Worli, Mumbai - 400030 (Maharashtra).
4. Shri Bholanath (B. P. Saroj) (Lok Sabha) - Member
Local Address: 118, North Avenue, New Delhi -110001.
Permanent Address: Village - Madardih, Post - Raipur,
Distt. - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222202.
5. Dr. Anil Aggarwal (Rajya Sabha) - Member
Local Address: C-1/6, Pandara Park, New Delhi - 110003
Permanent Address: KF-91, Kavi Nagar, Gaziabad - 201002 (UP).
6. Smt. Chhaya Verma (Rajya Sabha) - Member
Local Address: C - 501, Swarn Jyanti Sadan,
Dr. B. D. Marg, New Delhi - 110001.
Permanent Address: H.No. 2/528, Chaube Colony,
Raipur, Chattisgarh - 492001.

NOMINATED BY THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

7. Shri Prabhat Kumar - Member
Permanent Address: A-120, Swasthya Vihar, Delhi - 110092.
8. Shri Surender Sharma - Member
Permanent Address: Cottage No.4, B. M. Rohtagi Apartment,
1, Ram Kishore Road, Civil Lines, Delhi - 110054.
9. Shri Virender Mishra - Member
Permanent Address: Flat No.243, Sector-11,
Opposite Balaji Mandir, Vasundhara, Gaziabad, Uttar Pradesh - 201012.

10. Shri Abhijeet Kashyap - Member
Permanent Address: 402-403, Hem, Chhathdham Apartment,
Patliputra path, Near Telephone Exchange & Central Bank,
Rajender Nagar, Patna - 800016 (Bihar).

NOMINATED BY THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

11. Shri Kranti (Yevtikar) Kanate - Member
Permanent Address: 203, Tower-3, Sai Nath Square,
Behind Mothers' School, Jalaram Chaukari,
Vadodara, Gujarat – 390021.
12. Dr. Janardan Yadav - Member
Permanent Address: Village & Post: Narpat Ganj, Araria,
Bihar – 853445.
13. Dr. Mahesh Kumar Pandey - Member
Permanent Address: 147, Susheel Nagar, near DM Bunglow,
Jalaun Road, Orai, Distt. – Jalaun, Uttar Pradesh - 285001.

REPRESENTATIVES OF THE HINDI ORGANIZATIONS

14. Dr. Bandopant Patil, Rastrabhasha Prachar Samiti, Vardha - Member
Address: 'Yaswant' 77 A, Nirmity Vihar, Bijapur Road, Solapur
(Maharashtra) – 413004.
15. Dr. Puspendra Kumar Sharma, - Member
Kendriya Sachivalay Hindi Parishad, New Delhi.
Address: M-401, Ajnara land mark, Sector-4, Vaishali,
Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010.

OFFICIAL MEMBERS

16. Secretary, Department of Health & Family Welfare, New Delhi -110011. - Member
17. Secretary, Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, - Member
NDCC Building, Jai Singh Road, New Delhi - 110001.
18. Additional Secretary (Health), M/o Health & Family Welfare, New Delhi. - Member
19. Additional Secretary & Financial Adviser, M/oHFW, New Delhi. - Member
20. Director General of Health Services, New Delhi-110011. - Member
21. Director, All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, - Member
Virbhadr Marg, Rishikesh, Uttarakhand - 249203.
22. Director, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Ansari Nagar, - Member
New Delhi - 110029.
23. Director, Post Graduate Institute of Medical Education & Research, - Member
Sector-12, Chandigarh-160012.
24. Director, National Institute of Health & Family Welfare, Munirka, - Member
New Delhi - 110057.
25. Director, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research. - Member
Dhanvantri Nagar, Gorimedu, Puducherry-605006.
26. Director, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, - Member
Post Bag No. 2900, Bangalore – 560029.
27. Director, Chittranjan National Cancer Institute, 37, SP Mukherjee Road, - Member
Kolkatta – 700026.
28. Director, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical - Member
Sciences, Mawdiangdiang, Meghalaya, Shillong – 793016.

29. Director, International Institute of Population Sciences, Govandi Station Road, Deonar, Opposite Sanjona Chamber, Mumbai, Maharashtra – 400088. - Member
30. Additional Secretary (Incharge of Official Language), MoHFW. - Member-Secretary

II. FUNCTION

The function of the Committee will be to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act, 1963 and Official Languages Rules, 1976 and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Deptt. of Official Language in the Ministry of Health and Family Welfare and its attached and subordinate offices/ autonomous bodies/ statutory organisations and Public Sector Undertakings etc.

III. TENURE

The tenure of the Committee will be 3 years from the date of its formation provided that:—

- (1) A member of Parliament nominated to this Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- (2) Ex-officio members of the Committee shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee.
- (3) A member nominated in a vacancy arising in the Committee due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term.

IV. GENERAL

The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but the Committee can hold its meetings at any other station also.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members of the Hindi Salahkar Samiti will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Hindi Salahkar Samiti at the rates fixed by the Government of India, from time to time.

VI. ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries and Departments of the Government of India, and Pay & Accounts Office of the M/o Health & Family Welfare and attached and subordinate offices under the control of the M/o Health & Family Welfare.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information of the public.

ALOK SAXENA
Additional Secretary